न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या–2016/00094 दायर दिनांक 06.10.2016

1. विमला देवी पत्नी स्व. मोमन सिंह जाति राजपूत निवासी बिराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. रूप सिंह पुत्र स्व. मोमन सिंह जाति राजपूत निवासी बिराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. सायर सिंह पुत्र स्व. मोमन सिंह जाति राजपूत निवासी बिराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. बाबूसिंह पुत्र स्व. मोमन सिंह जाति राजपूत निवासी बिराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)

–अपीलांट्स–

बनाम

1. रेवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. समुद्र सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. कृष्ण कुमार पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. भादर सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
6. रणवीर सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
7. जैत सिंह पुत्र अगर सिंह जाति राजपूत निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
8. आशाराम पुत्र लछुराम जाति ब्राह्मण निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू (राज.)

–रेस्पो0–

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भीमसिंह शेखावत एडवोकेट, वास्ते अपीलांट्स
2. श्री शिव सिंह राठौड़ एडवोकेट, वास्ते रेस्पो0 04, 01, 07, 08
   श्री सरजीवन सिंह एडवोकेट, वास्ते रेस्पो0 02, 03, 05, 06

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के न्यायालय से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस अपील में अपीलांट्स के मुख्य कथन इस प्रकार है:–

1. रेस्पो0 ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.07.2016 को जिला कलक्टर चूरू को पेश कर कहा कि गांव बीराण से पश्चिम दिशा को एक रास्ता जाता है। उसे अपीलांट्स ने बंद कर दिया है। उक्त प्रार्थना–पत्र उसी दिन तहसीलदार राजगढ़ को भिजवाया गया जिस पर तहसीलदार राजगढ़ ने उसी दिन 251 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही संस्थित करके अपीलांट्स के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर उक्त निर्णय पारित कर दिया।
2. अपीलांट्स के खेत ख.नं. 202 में से कोई रास्ता रेस्पो0 के खेतों में नहीं जाता है, ना ही कभी रहा है। खेत ख.नं. 202 की उत्तरी व दक्षिणी सीमाओं में से कटाणी रास्ता है। रेस्पो0 इन कटाणी रास्तों से ही अपने अपने खेतों में आवागमन करते रहे हैं तथा इन्हीं कटाणी रास्तों से आवागमन करते हैं। रेस्पो0 के खेतों को ये कटानी रास्ते जाते हैं, तहसीलदारा राजगढ़ ने राजनैतिक दबाव में आकर अपीलांट के खेत में से नया रास्ता कायम करने का निर्णय व आदेश पारित किया है।
3. अपीलांट अपने खेत में अपना मकान बनाकर सपरिवार रिहायश कर रहे हैं। तहसीलदार महोदय ने हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मांगी थी जो रिपोर्ट दिनांक 25.07.2016 को पेश करना बताया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही उनके समक्ष कोई मौका देखा गया, ना ही रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस तरह यह रिपोर्ट बाला–बाला ही अपीलांट्स को बिना सूचना दिये ही तैयार की गई है।
4. तहसीलदार राजगढ़ ने कार्यवाही प्रार्थना–पत्र दिनांकित 18.07.2016 के प्राप्त होते ही प्रारंभ कर दी थी। तहसीलदार राजगढ़ को प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करके संबंधित ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिये था। प्रथम 45 दिन तक 251 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को होता है। यदि निर्धारित समय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत कार्यवाही नहीं करे तो तहसीलदार को अधिकार प्राप्त होता है। तहसीलदार राजगढ़ ने यह निर्णय अपनी आधिकारिता से बाहर जाकर किया है।

5. अपीलांट्स के खेत के दो तरफ कटानी रास्ता है। इन्हीं कटानी रास्तों से आगे के खेतों के काश्तकार आवागमन करते हैं। इसके बावजूद एक तीसरा रास्ता कायम करने का आदेश गलत होने से काबिले खारिज है।

6. अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील–अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय व आदेश दिनांक 07.09.2016 को खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ की मूल पत्रावली सं. 59/16 उनवानी सरकार बनाम् समुद्र सिंह निर्णय दिनांक 07.09.2016 तलब की गई।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि तहसीलदार राजगढ़ ने नियम व कानून के खिलाफ आदेश पारित किया है। खेत ख.नं. 202 रोही मौजा बीराण में स्थित अपीलांट्स के खेत में से कोई रास्ता रेस्पो0 के खेतों की तरफ नहीं जाता है। ख.नं. 202 की उत्तरी व पश्चिमी सीमाओं में से कटाणी रास्ता है। रेस्पो0 इन दोनों कटाणी रास्तों से आवागमन करते रहे हैं। खेत के दोनों तरफ दो कटाणी रास्ते उपलब्ध है। बावजूद इन रास्तों के एक नया रास्ता रेस्पो0 कायम करवाना चाहते हैं। वर्तमान में अपीलांट्स इस खेत में मकान बनाकर सपरिवार रिहायश करते हैं। अपीलांट्स ने किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण नहीं किया है। तहसीलदार राजगढ़ के मौके निरीक्षण बाबत् आदेश के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.07.2016 को पेश की गई थी। इस मौका निरीक्षण बाबत् अपीलांट्स को किसी तरह की कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई मौका निरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। केवल इस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार राजगढ़ ने उक्त निर्णय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है। तहसीलदार राजगढ़ ने कार्यवाही प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते ही तुरंत भी स्वयं ही कार्यवाही शुरू करवा दी। जबकि कानूनी रूप से उन्हें ये प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर संबंधित ग्राम पंचायत को भिजवाना चाहिये था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अंतर्गत प्रथम 45 दिन तक रास्ता विवाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को होता है। यदि इस अवधि में ग्राम पंचाायत कोई कार्यवाही नहीं करे तो प्रकरण संबंधित तहसीलदार को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। इसलिए तहसीलदार राजगढ़ का आदेश व निर्णय जेर अपील कायम रहने योग्य नहीं है।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि मौका निरीक्षण दिनांक 15.09.2016 बाबत् अपीलांट्स को सूचना दी गई थी। किन्तु अपीलांट विमला देवी हाजिर नहीं आई। अपीलांट विमला देवी के पुत्र रूप से टेलीफोन से संपर्क कर इस बाबत् सूचना दी गई थी। दिनांक 10.08.2016 के मौका निरीक्षण में अपीलांट्स से अतिक्रमण हटाने बाबत् समझाईश की गई थी किन्तु उन्होंने रास्ता पर से अतिक्रमण नहीं हटाया। अपीलांट्स को पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। तहसीलदार राजगढ़ ने विधिसम्मत एवं अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही निर्णय जेर अपील पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में ग्राम पंचायत के रास्ता संबंधी विवाद में 45 दिन तक सुनवाई करने संबंधी अधिकार को राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांकित 06.07.2009 के द्वारा rescind कर दिया गया है। इसलिए अब ग्राम पंचायत को रास्ता विवाद में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपील–अपीलांट खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस व तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ की पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। ग्राम पंचायत खैरू बड़ी द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया है। जिसमें यह अंकित है कि यह रास्ता आबादी भूमि में नहीं है बल्कि कृषि भूमि में से गुजरता है। यह रास्ता वर्षों पुराना सदामद का रास्ता है। इस रास्ता पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20.08.2016 में समझाईश के आधार पर रास्ता खुलवाने की सहमति हुई है। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा आदेश जेर अपील अपने अधिकार क्षेत्र में ही पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में ग्राम पंचायतों को Notification No.F.5(21)Rev./Gr.4/80/34 dated 04-09-1982 द्वारा सदामद के रास्तों पर विवाद होने पर 45 दिन तक सुनवाई कर निर्णय पारित का करने का अधिकार प्राप्त था। किन्तु राज्य सरकार द्वारा Notification No.F.3(2) Rev-VI/2003/pt/18 Jaipur, dated:06-07-09 के द्वारा उक्त पूर्व की अधिसूचना से ग्राम पंचायतों को दी गई शक्तियों

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

को तुरंत प्रभाव से रद्द/अमान्य (rescinds) कर दिया गया है। रास्ता संबंधी विवाद में सुनवाई करने का अधिकार दिनांक 06.07.09 को समाप्त होने के कारण ग्राम पंचायत इस बाबत् प्रकरणों को नहीं सुन सकती है। किसी भी पुरानी पगडंडी या पुराने कटानी रास्ते में किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय में कोई खामी प्रकट नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

इसलिए उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अपील–अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय दिनांक 07.09.2016 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार राजगढ़ की मूल पत्रावली सं. 59/2016 निर्णय की प्रति के संलग्न कर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner